<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक: - 57ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक: --17 / 01 / 14</u> फाईलिंग नं. 234504000262014

- घनश्याम पिता छोटेलाल उम्र 50 वर्ष, जाति बढई
- कलाबाई जौजे घनश्याम, उम्र 45 वर्ष, जाति बढई निवासी वार्ड नं. 4, बढई मोहल्ला, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

.<u>. वादीगण</u>

वि रू द्व

- 1. छोटेलाल पिता बातू, उम्र 80 वर्ष
- 2. मोतीलाल पिता छोटेलाल, उम्र 55 वर्ष
- चंद्रकला जौजे छोटेलाल, उम्र 70 वर्ष
 क. 1 से 3 निवासी वार्ड नं. 4, बढ़ई मोहल्ला, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. हीराबाई पिता छोटेलाल, पित सुंदरलाल मालवीय उम्र 66 वर्ष, निवासी पोस्ट मांडवी, तहसील आठनेर, जिला बैतूल(म.प्र.)
- मीराबाई पिता छोटेलाल, पति उदेलाल मालवीय उम्र 45 वर्ष, निवासी आमाबघोली, पोस्ट जौलखेड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 31.03.2018 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा ख.नं. 20 रकबा 1.169 हे. खं.न. 22/1 रकबा 0.067 हे. ख.नं. 23/2 रकबा 0.753 हे. ख.नं. 24 रकबा 0.648 हे. ख.नं. 36/1 रकबा 1.501 हे. स्थित ग्राम खिडकीखुर्द तथा मकान स.क. 143, बढ़ई मोहल्ला, वार्ड कमांक 04 जिसके पूर्व में कांता बढ़ई का मकान, पश्चिम में रामिकशोर वगैरह का मकान, उत्तर में बाबूलाल की रिक्त भूमि, दक्षिण में आम

रास्ता, स्थित आमला वाद संलग्न नक्शे में दर्शित (अत्रपश्चात् विवादित भूमि एवं मकान से संबोधित) पर अपने अंश अनुसार स्वत्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 2 प्रकरण में यह स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं तथा विवादित भूमि तथा मकान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी कमांक 01 छोटेलाल के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में वंशवृक्ष भी उभयपक्ष के मध्य स्वीकृत है।
- वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी कमांक 01 छोटेलाल मूल पुरुष बातू एवं नैनाबाई का पुत्र है। विवादित भूमि एवं मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपने पिता बातू से प्राप्त हुई। विवादित मूिमयां राजस्व अभिलेखों में छोटेलाल के नाम पर दर्ज हैं तथा विवादित मकान नगरपालिका अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पर दर्ज है। वादी बचपन से माता-पिता के साथ विवादित मकान में निवासरत रहा। विवाह के बाद भी वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 03 विवादित मकान में निवास कर रहे हैं एंव विवादित भूमियों के काश्त भी संयुक्त रुप से करते आ रहे हैं। विवादित भूमि एवं मकान वादी एवं प्रतिवादीगण का खानदानी है। प्रतिवादी क्रमांक 02 नौकरी करता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 वादी की तूलना में प्रतिवादी क्रमांक 02 को अधिक महत्व देते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विवादित मकान को वर्ष 2013 में पूर्ण रुप से तोड दिया और नया निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया और इस दौरान वादीगण को खेत में रहने के लिए कहा। प्रतिवादी क्रमांक 02 पुराने मकान की संपूर्ण खाली भूमि पर निर्माण कार्य करने लगा जबकि वादी की रिथिति मकान बनाने के नहीं थी, वह अपनी इच्छा अनुसार खाली भूखंड पर मकान बनाना चाहता था, परंत् प्रतिवादी क्रमांक 02 के द्वारा विवादित मकान के संपूर्ण भूखंड पर निर्माण कार्य करने से वादी के अधिकारों का हनन होने लगा। चूंकि विवादित भूमि एवं मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 के नाम पद दर्ज है। इसलिए प्रतिवादीगण विवादित भूमि एवं मकान का संक्रामण कर उसका हक नष्ट कर देंगे। चूंकि विवादित भूमियां एवं मकान वादी का खानदानी है, जिस पर पर वह इनपर जन्म से ही हक रखता है। इसलिए वादी द्वारा विवादित भूमि एवं मकान पर अपने अंश की स्वत्व घोषणा तथा प्रतिवादीगण को विवादित भूमि तथा मकान का विक्रय या अन्यथा अंतरण से निषेधित किए जाने हेत् यह दावा प्रस्तूत किया गया है।
- 4 प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की ओर से संयुक्त रुप से जवाब दावा प्रस्तुत कर उसमें यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि एवं मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित संपत्ति है, जिस पर वादी का उसके जीवनकाल में कोई हक एवं अधिकार नहीं है, परंतु प्रतिवादी क्रमांक 01

ने वादी क्रमांक 01 के पिता होने के नाते उसे गांव में कृषि भूमि और रहने के लिए मकान दिया। अतः वादीगण कोई भी अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

- 5 प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 04 एवं 05 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत ना करना व्यक्त किया गया था, जिस कारण से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कमांक 04 एवं 05 के जवाब दावा प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया गया था।
- 6 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु मेरे द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :--

₮.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या विवादित भूमि ख.नं. 20 रकबा 1.169 हे. खं.न. 22/1 रकबा 0.067 हे. ख.नं. 23/2 रकबा 0.753 हे. ख.नं. 24 रकबा 0.648 हे. ख.नं. 36/1 रकबा 1.501 हे. स्थित ग्राम खिडकीखुर्द, आवरिया तहसील आमला जिला बैतूल वादी की पैतृक संपत्ति है ?	
2.	क्या विवादित मकान स्थित बढ़ई मोहल्ला, आमला जिसके वाद संलग्न नक्शे में पूर्व में कांता बढ़ई का मकान, पश्चिम में रामिकशोर वगैरह का मकान, उत्तर में बाबूलाल की रिक्त भूमि, दक्षिण में आम रास्ता, वादी की पैतृक संपत्ति है ?	
3.	क्या उपर्युक्त भूमि व मकान पर वादी, प्रतिवादीगण के साथ बराबर अंश का स्वत्वाधिकारी है ?	
4.	क्या वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि व मकान का विधिवत् विभाजन के पूर्व अंतरण ना करें एवं विवादित मकान के संपूर्ण भू—भाग पर निर्माण कार्य न करें ?	
5.	सहायता एवं व्यय ?	

<u>विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u> <u>वाद प्रश्न क. 01 एवं 0</u>2 का निराकरण

- वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि एवं मकान वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 को विवादित भूमियां तथा मकान उसके पिता बातू से प्राप्त हुई। जबिक प्रतिवादीगण ने यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमियां एवं मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित संपत्ति हैं। जिस पर मात्र प्रतिवादी क्रमांक 01 का हक एवं अधिकार है।
- 8 वादी की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज किश्तबंदी, खतौनी वर्ष 2017—18 (प्रदर्श पी—1 एवं 2) तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012—13 (प्रदर्श पी—10) तथा खसरा वर्ष 2017—18 (प्रदर्श पी—3 लगायत 7) तथा ख.नं. 24 का नक्शा वर्ष 2017—18 (प्रदर्श पी—8), ख.नं. 20 का नक्शा (प्रदर्श पी—9) तथा नगर पालिका परिषद आमला की भवन प्रमाण पत्र की रसीद वर्ष 2013 (प्रदर्श पी—12) प्रस्तुत किया है। कार्यालय कलेक्टर बैतूल के आवेदन एवं निराकरण की रसीद दिनांक 17.12.2013 (प्रदर्श पी—11) प्रस्तुत किया है। जबिक प्रतिवादीगण की ओर से अभिवचनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- 9 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित भूमियां एकमात्र प्रतिवादी क्रमांक 01 छोटेलाल के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना तथा विवादित मकान भी प्रतिवादी क्रमांक 01 छोटेलाल के स्वत्व का होना प्रकट हो रहा है।
- 10 वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों में यह बताया गया है कि विवादित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियां हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमियां हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहदायिक संपत्तियां हैं। जिस पर वादीगण का जन्म से ही हक प्राप्त है। उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 को विवादित भूमियां एवं मकान उसके पिता बातू से प्राप्त हुई। वादीगण की ओर से वादपत्र में लेख वंशवृक्ष अनुसार बातू की एकमात्र संतान प्रतिवादी क्रमांक 01 छोटेलाल होना प्रकट हो रहा है।
- 11 पैतृक संपत्ति से तात्पर्य है जहां एक व्यक्ति अपने पिता या पितामाह या प्रपितामाह से संपत्ति चाहे वह जंगम या स्थावल विरासत में प्राप्त करता है, वह जहां तक उसके पुरुष बच्चे का संबंध है वह पैतृक संपत्ति कहलाती है। प्रतिवादी क्रमांक 01 ने भी अपने कथनों में यह बताया है कि विवादित भूमियों पर उसका नाम उसके पिता बातू की वर्ष 1954 में मृत्यु होने के बाद आया। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह प्रमाणित पाया जाता है कि विवादित

भूमियां तथा मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 के उसके पिता बातू से प्राप्त होने के कारण वादीगण तथा प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 "हां" के रुप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

वाद प्रश्न क. 03 का निराकरण

प्रकरण में वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमियां 12 तथा मकान वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतुक संपत्ति होना प्रमाणित पाई गई हैं। अतः न्यायालय को यह देखना है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 को विवादित भूमि एवं मकान में जो अधिकार प्राप्त हुए, वह संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में प्राप्त हुए अथवा व्यक्तिगत रुप में। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो न्यायदृष्टांत युधिष्टर विरुद्ध अशोक कुमार ए.आई.आर.1987 एस.सी. 558 एवं किमश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, कानपुर विरुद्ध चन्दरसेन ए.आई. आर. 1987 एस.सी. 1753 महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त दोनों मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां पुत्र हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात् अपने पिता से संपत्ति प्राप्त करता है, वहां वह संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से नहीं, बल्कि वह स्वतंत्र प्रस्थिति में उक्त संपत्ति प्राप्त करता है। साथ ही विधि के इस सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यायगत होती है तो वह संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 19 के अनुसार Tenants-in-common की प्रकृति की होती हैं, वह ज्वाइंट संपत्ति नहीं हो सकती। इस संबंध में माननीश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1986 SC 1753 (Supra) में यह प्रतिपादित किया गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में अर्जित संपत्ति स्वअर्जित होती है और प्रत्येक स्वामी को स्वअर्जित संपत्ति के व्ययन को अधिकार होता है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद जन्म से ही सहदायिक संपत्ति पर अधिकार के सृजन की संकल्पना अब समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत Bhawarsingh Vs Puran AIR 2008 SC 1490 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के पश्चात् जन्मसिद्ध अधिकार की संकल्पना हिंदू विधि में समाप्त हो चुकी है। इसी विधि का अनुसारण करते हुए माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत Chandrakanta and another Vs Ashok kumar and others 2002 (3) MPLJ 576 में यह प्रतिपादित किया है कि "In view of the aforesaid pronouncements, it is clear that after coming into force of the Hindu Succession Act, the theory of birth-right does not exist and

son gets share in the property only after death of his father". इस प्रकार वादीगण यह प्रमाणित नहीं कर पाएं हैं कि विवादित भूमियां एवं मकान पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार था और वह अपने पिता प्रतिवादी क्रमांक 01 के साथ हिंदू सहदायिक का सदस्य है। तब ऐसी स्थिति में विवादित भूमियां एवं मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 को उत्तराधिकार में प्राप्त होने के कारण उसकी स्वअर्जित है। जिस पर वादीगण का प्रतिवादी क्रमांक 01 छोटेलाल के जीवनकाल में कोई भी हित या अधिकार उद्भूत नहीं होता है। तदानुसार वाद प्रश्न कृ. 03, "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता हैं।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण

वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमियां एवं मकान प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित होना प्रमाणित पाई गई है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 01 को विवादित भूमियों एवं मकान के अपनी इच्छानुसार व्ययन एवं उपभोग का पूर्ण अधिकार है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाए जाते हैं। तदानुसार वाद प्रश्न क. 04 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क. 05 का निराकरण

- 15 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना के अनुसार वादीगण विवादित भूमियों एवं मकान पर प्रतिवादी क्रमांक 01 छोटेलाल के जीवनकाल में अपने अंश अनुसार स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहे हैं तथा वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं पाए गए हैं। फलतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—
 - 1. वादीगण का ख.नं. 20 रकबा 1.169 हे. खं.नं. 22/1 रकबा 0.067 हे. ख.नं. 23/2 रकबा 0.753 हे. ख.नं. 24 रकबा 0.648 हे. ख.नं. 36/1 रकबा 1.501 हे. स्थित ग्राम खिडकीखुर्द तथा मकान स.क. 143, बढ़ई मोहल्ला, वार्ड कमांक 04 जिसके पूर्व में कांता बढ़ई का मकान, पश्चिम में रामिकशोर वगैरह का मकान, उत्तर में बाबूलाल की रिक्त भूमि, दक्षिण में आम रास्ता, वाद संलग्न नक्शे में दर्शित अनुसार स्थित आमला के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा निरस्त किया जाता है।
 - 2. प्रकरण में वादीगण स्वयं के साथ—साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।

3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल